उत्तर प्रदेश शासन
लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2
सं0-10/2015/95/62-2-2015-2/4(34)/2014
लखनऊ: दिनांक: 09 जनवरी,2015

कार्यालय ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री देवेन्द्र कुमार, अधिशासी अभियंता/उपनिदेशक, सांख्यकीय सेल, लघु सिंचाई विभाग, उ0 प्र0 लखनऊ को, उनके पद के दायित्वों एवं कर्त्तव्यों के साथ-साथ, नितांत अस्थाई एवं कामचलाऊ व्यवस्था के अन्तर्गत, अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई खण्ड, जालौन के पद का कार्यभार, अतिरिक्त रूप से प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- इस हेतु श्री देवेन्द्र कुमार, अधिशासी अभियंता/उपनिदेशक, सांख्यकीय सेल, लघु सिंचाई विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त वेतन भत्ता व अन्य वित्तीय लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

उक्त व्यवस्था नियमित अधिशासी अभियंता की तैनाती होने पर स्वत: समाप्त हो जायेगी।

ह0/
चन्द्र प्रकाश ,
प्रमुख सचिव।

सं0-10/201595(1)/62-2-2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2- मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3- मण्डलायुक्त, झॉसी मण्डल झॉसी।
4- जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/कोषाधिकारी, जालौन।
5- अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई वृत्त, झॉसी।
6- संबंधित अधिकारी द्वारा मुख्य अभियंता।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/
(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।